अधिसूचना अंतर्गत मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973)

क्रमांक डी-15-31-2008-चौदह-3 दिनांक 2 मार्च 2009 -- यत: राज्य सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि ऐसी बंद खाद्य प्रसंस्करण इकाई को , जिसे कंपनी द्वारा पुनर्जीवित किया जाएगा और उसका विस्तार किया जाएगा , ऐसी अधिसूचित कृषि उपज पर , जो उनके मण्डी क्षेत्र के भीतर लाई गई है, उनकी प्रसंस्करण इकाई के लिये कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जा रही है, तीन वर्ष की कालावधि के लिये मण्डी फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी ।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी अधिसूचित कृषि उपज पर , जो प्रसंस्करण हेतु किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई है और जो पुनर्जीवित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जा रही है, निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् : -

(1) पुनर्जीवित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु अधिसूचित कृषि उपज पर मण्डी फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी , परन्तु अधिसूचित कृषि उपज वाणिज्यिक प्रयोजनों के अनुक्रम में या इस अधिसूचना में विहित निबंधनों एवं शर्तों के उल्लंघन में क्रय की गई है, तो मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति द्वारा मण्डी फीस के भुगतान से छूट नहीं दी जाएगी और ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के उपबंध मण्डी फीस के उद्ग्रहण को लागू होगे ।

(2) पुनर्जीवित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 31 के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना बाध्यकर होगा तथा किसी स्थान से क्रय किए गए कच्चे माल के रूप में उपयोग की गई अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में आयकर विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग को उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नियतकालिक विवरणी की प्रमाणित तथा सत्यापित फोटो कापी तथा अन्य अपेक्षित दस्तावेज मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(3) यह छूट किसी भी मण्डी क्षेत्र से वाणिज्यिक अनुक्रम में क्रय की गई कृषि उपज के प्रसंस्करण में उपयोग के लिये लाई गई अधिसूचित कृषि उपज के क्रय पर प्रभावशील नहीं होगी ।

(4) उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंध पुनर्जीवित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लागू होगे । अधिसूचित कृषि उपज का क्रय या उसका उपयोग करना पुनर्जीवित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन करना आवश्यक होगा।

(5) मण्डी फीस के भुगतान से छूट केवल उन पुनर्जीवित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को , अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा निबंधनों और शर्तों के अधीन यथापूर्वोक्तानुसार दी जाएगी, जो उद्योग संवर्धन नीति-2004 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन परिभाषित तथा

अनुमोदित है और पुनर्जीवित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना में मेगा उद्योग के रूप में घोषित किया गया है , उसे उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड ७ के उपखण्ड (दो) के अधीन व्यतिक्रमी नहीं होना चाहिए ।

(6) ऊपर बिन्दु (5) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पुनर्जीवित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कृषि उपज की पूर्वस्थापित क्रय क्षमता पर या विगत तीन वर्षों के औसत उत्पादन पर , जो भी अधिक हो, मण्डी फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी । इस संबंध में आवश्यक परीक्षण मण्डी समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाएगा ।

(7) अधिसूचित कृषि उपज के रूप में कच्चे माल के क्रय पर, जो अधिसूचना के बिन्दु (6) में यथाविनिर्दिष्ट स्थापित प्रमाणित क्षमता से कम हो , मण्डी फीस के भुगतान से कोई छूट नहीं दी जाएगी ।

(8) बिंदु क्रमांक (6) में यथाविनिर्दिष्ट पुनर्जीवित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उत्पादन की गणना उस मण्डी समिति द्वारा की जाएगी जिसकी अधिकारिता में पुनर्जीवित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित है और प्रत्येक माह के लिए मण्डी फीस के भुगतान से छूट की गणना , निबंधनों तथा शर्तों के क्रियान्वयन के संबंध में उसके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी ।

(9) मण्डी क्षेत्र में स्थापित किये गये ऐसे आधुनिक पुनर्जीवित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से , प्रकरणवार समीक्षा कर मण्डी फीस के भुगतान से छूट अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये या इस अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक (8) में उल्लिखित किये गये अनुसार, धारा 69 की उपधारा (2) में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए प्रदान की जा सकेगी ।

(10) किन्हीं निबंधनों के उल्लंघन या किन्हीं निबंधनों तथा शर्तों के अपालन या उक्त अधिनियम के किन्हीं ही उपबंधों के भंग की दशा में मण्डी फीस की छूट , जो पुनर्जीवित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई है , मण्डी फीस की पांच गुना रकम शास्ति के रूप में मण्डी समिति को देय होगी , जो अधिनियम के उपबंध के अनुसार वसूली योग्य होगी ।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2-3-2009 पृष्ठ 159-160 पर प्रकाशित ।]